संख्या 890/38–9–2010–2ज0सू0/2008

प्रेषक,

आर0 एन0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनॉक 07 जुलाई, 2010

विषयः–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ से कार्य लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1772(1)/38–9–2009 दिनांक 07 अक्टूबर, 2009 के क्रम में अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर से शासकीय निर्माण कार्यो के सम्पादन के संबंध में निर्गत वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या–ई–8–372/दस–2010 दिनांक 24–5–2010 (प्रति संलग्न) द्वारा उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ को राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किया गया है।

2. इसके परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–1772(1)/38–9–09 दिनॉक 7–10–09 व शासनादेश संख्या 401/38–9–10–2ज0सू0/08 टी0सी0–1 दिनांक 09–04–10 को संशोधित करते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा–निर्देशों के तहत उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ से योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में अर्हता होने के फलस्वरूप कार्य लिये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0एन0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–ई–8–372 / दस–2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन / विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांक : 24 मई, 2010

विषयः–शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–303 / दस–06–89 / 2004, दिनांक 02 मार्च, 2006 एवं संख्या–ई–8–667 / दस–06–८ / 2004, दिनांक 06 जून, 2006 में मानकीकृत कार्यों हेतु रू0 10.00 करोड़ तक की लागत के तथा गैर मानकीकृत कार्यों हेतु रू0 2.50 करोड़ तक की लागत के भवन निर्माण कार्य किसी भी राजकीय निर्माण एजेन्सी से निक्षेप कार्य के रूप में कराये जाने की व्यवस्था है।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–ई–8–609 / दस–06–89 / 2004, दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा उत्तर प्रदेश विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 (पैक्सफेड) जिसका शासनादेश संख्या–ई–8–836 / दस–09–89 / 2004, दिनांक 08 जुलाई, 2009 द्वारा संशोधित नाम उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 हो गया है को राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित एजेन्सियों के अतिरिक्त उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ को भी उक्त प्रयोजन हेतु निम्न शर्तों के अधीन राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में माना जायेगा:–

(क) मानक के अनुसार वांछित तकनीकी स्टाफ एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 को अनन्तिम(Provisional) रूप से एक वर्ष हेतु राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किया जाता है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष के पश्चात इस संस्था द्वारा इस अवधि में सम्पादित

कराये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा तदनुसार ही इस संस्था अन्तिम रूप से राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित करने के सम्बन्ध में पुनः नि लिया जायेगा।

(ख) संस्था के पास अनुभव, तकनीकी स्टाफ एवं इन्फारस्ट्रक्चर को दृष्टिगत रखते हु मानकीकृत भवनों हेतु रू0 5.00 करोड़ तथा गैर मानकीकृत भवनों हेतु रू0 2.50 करोड़ तक की लागत की सीमा निर्धारित की जाती है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील के आवासीय/अनावासीय भवन, प्राथमिक विद्यालय/माध्यमिक विद्यालय, पशु चिकित्सालय भवन, सामान्य प्रकार के भवनों का निर्माण इस कार्यदायी संस्था से कराया जा सकेगा एवं सामान्य से हटकर विशिष्ट प्रकार के भवनों यथा–सुपर स्पेशिलिटीज़ अस्पताल, ट्रामा सेन्टर, उच्च कोटि के स्पोर्ट्स स्टडियम एवं तरणताल तथा बहुमंज़िला भवन आदि जिनमें विशिष्ट प्रकार की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के कार्यों को इस संस्था से वर्तमान में न कराया जाये। इन विशिष्ट प्रकार के कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में संस्था की कार्यकुशलता, तकनीकी क्षमता एवं इन्फारस्ट्रक्चर के आधार पर भविष्य में निर्णय लिया जायेगा।

(ग) निर्माण एजेन्सी में वित्तीय अनुशासन एवं सम्पादित कार्यों में उच्च कोटि की गुणात्मकता को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा उनका निरीक्षण एवं गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुश्रवण किया जाये तथा इस बारे में त्रैमासिक आधार पर व्यय वित्त समिति को अवगत कराया जाये।

(घ) प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्माण एजेन्सी द्वारा सम्पादित कार्यों की समय–समय पर शासन द्वारा गठित टास्क–फोर्स से जांच करवायी जाये तथा जांच आख्या त्रैमासिक आधार पर व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

(ङ) उपर्युक्त के साथ–साथ पूर्व में नामित सभी राजकीय निर्माण एजेन्सियों में वित्तीय अनुशासन एवं उनके द्वारा सम्पादित कार्यों में उच्च कोटि की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से इन कार्यों की लोक निर्माण विभाग अथवा शासन द्वारा नामित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा समय–समय पर जांच की जाये तथा इस सम्बन्ध में त्रैमासिक आधार पर व्यय वित्त समिति के सम्मुख आख्या प्रस्तुत की जाये।

3. शेष प्रतिबंध एवं शर्तें पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार रहेंगे तथा यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या–ई–8– 372(1)/दस–2010–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
3. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
4. प्रबंध निदेशक, जल निगम उ0प्र0।
5. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
6. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम लि0।
7. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
8. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0।
9. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
11. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0,लखनऊ ।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
13. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।

आज्ञा से,

25.05.10

(राजन शुक्ला)

सचिव।